संख्या-29/2015/वे0आ0-2-478/दस-2015-8(मु0स0स0)/2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 25 मई, 2015**

विषयः मुख्य सचिव समिति द्वारा विधान सभा सचिवालय के सम्पादक के पद की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-819/दस-2014-8(मु0स0स0)/2011, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1 के अन्त में निम्न विवरण का समावेश लिये जाने का निर्णय लिया गया है:--

"सम्पादक के पद पर उक्तानुसार उच्चीकृत वेतन बैण्ड-3 रु0 15600-39100 व ग्रेड वेतन रु0 5400/- होने के फलस्वरुप उक्त पद के धारक को वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने की तिथि से रु0 900/- प्रतिमाह की दर से सचिवालय भत्ता अनुमन्य होगा।"

2- कृपया उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07 नवम्बर, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या- 29/2015/वे0आ0-2-478 (1)/दस-2014-8(मु0स0स0)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
2- कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3- निदेशक,एन0आई0सी0,छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in